न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05 / 2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1पूनाराम पुत्र कानाराम 2रेखाराम पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासीगण पुन्दलोता तहसील डेगाना जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना। 2भंवरलाल पुत्र स्व. परसाराम 3रामचन्द्र पुत्र स्व. परसाराम 4झणकारी पत्नी स्व. परसाराम 5ज्यानादेवी पुत्री परसाराम 6सुवटीदेवी पुत्री कानाराम 7छोटीदेवी पुत्री कानाराम जातियान जाट निवासीगण पुन्दलोता तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा ग्राम पुन्दलोता के नामान्तरकरण सं. 1333 निर्णय दिनांक 24.01.2007 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 12.02.2020 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 1333 दिनांक 24.01.2007 की फोटोप्रति, ग्राम पुन्दलोता के जमाबंदी संवत 2058–61 व 2075–78 की फोटोप्रति, श्रीमती चन्द्रकी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति तथा दयाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

2}(I)– अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि मृतक चन्द्रकी उर्फ चुकली के फौतगी नामान्तरकरण सं. 1333 दिनांक 24.01.07 मे तहसीलदार डेगाना द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिये गये आदेश दिनांक 24.01.07 की जानकारी नही थी। अपीलांट ग्रामीण परिपेक्ष्य के रहने वाले अनपढ व्यक्ति है। अपीलांट को कोई कानूनी जानकारी नही है। अपीलांट को जमाबंदी आदि की कोई आवश्यकता महसूस नही होने से गलत नामान्तरकरण इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी। जानकारी होने पर नकले लेकर नामान्तरकरण सं. 1333 की अविलंब अपील पेश की। प्रार्थना पत्र को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

{2}(II)–अपीलांट की ओर से ग्राम पुन्दलोता के फौतगी नामान्तरकरण सं. 1333 दिनांक 14.11.06 तहसीलदार डेगाना के स्वीकृति आदेश दिनांक 24.01.07 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत है।

{2}(III)–ग्राम पुन्दलोता की अपीलग्रस्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के नाम से खातेदारी मे दर्ज है।

{2}(IV)–आराजी भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 की पुश्तैनी मिल्कीयत की बडेरो से उत्तराधिकार मे प्राप्त भूमि है। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 6, 7 का हक हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पति परसाराम के हक मे रिलीज हो जाने से अपीलाधीन भूमि मे स्व. दयाराम का 1 / 4 हिस्सा था। दयाराम के निधन दिनांक 14.10.20 को फोत होने पर उनके स्थान पर है। हिन्दू उतराधिकार

अपर कलक्टर, नागौर

अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसूचित 1 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 1102 के जरिये चन्द्रकी उर्फ चूंकि को उतराधिकार मे प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन भूमि मे मृतक चन्द्रकी उर्फ चूंकली का 1/4 हिस्सा, अपीलांट सं. 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलांट सं. 2 का 1/4 हिस्सा तथा परसाराम फौत होने पर उनके स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का 1/4 (प्रत्येक का 1/12) हिस्सा दर्ज हुआ।

{2}(V)–चन्द्रकी उर्फ चुंकली का दिनांक 14.11.06 का लाऔलाद देहान्त हो गया। आराजी भूमि मे से 1/4 हिस्सा की भूमि चन्द्रकी को अपने पति स्व. दयाराम से उनका दिनांक 14.10.2000 को स्वर्गवास होने पर उत्तराधिकार मे प्राप्त निर्वसीयत भूमि है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 हिन्दू नारी की अवस्था मे उतराधिकार के साधारण उप नियम (1) (क) से (ड) मे दर्शित कोई जायज दायद नही होने से उप नियम (2)(ख) के अनुसार मृतक चन्द्रकी को उनके पति (ससुराल पक्ष) से प्राप्त निर्वसीयत सम्पति होने से नियम 8, अनुसूची वर्ग 2(II) के अनुसार अपीलांट चन्द्रकी के स्व. पति दयाराम के अपीलांट सं. 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 कानूनी दायद होने से उक्त सम्पति (भूमि) अपीलांट को 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 न्यायगत होती है।

{2}(VI)–पटवारी पुन्दलोता ने हिन्दू उतराधिकार के नियमो को नजर अंदाज करते हुए चन्द्रकी के फोत हो जाने के बाद फोतगी का नामान्तरकरण अपीलांट के साथ रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 5 के नाम भी विधिविरूद्व फोतगी नामान्तरकरण सं. 1333/14.11.06 भरकर प्रस्तावित किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी बिना किसी विधिक जांच के अपनी जांच टिप्पणी कर दी गयी तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 हिन्दू नारी की अवस्था मे उतराधिकार के साधारण उप नियम (2)(ख) एवं नियम 8, अनुसूची वर्ग 2(II) का उल्लघंन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे चन्द्रकी उर्फ चुकली के स्थान पर गलत नाम एवं हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन गलत है।

{2}(VII)–अपीलांट ग्रामीण परिपेक्ष्य के रहने वाले अनपढ व्यक्ति है। अपीलांट को कोई कानूनी जानकारी है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम पुन्दलौता के नामान्तरकरण सं. 1333 दिनांक 24.01.2007 खातेदार चन्द्रकी फौत होने पर उसके वारिसान के नाम भरा गया है। जो विधिसम्मत है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा पुन्दलौता के नामान्तरकरण सं. 1333 दिनांक 24.01.2007 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे खातेदार चन्द्रकी निःसंतान फौत होने पर उसके वारिसान अपीलांट पूनाराम, रेखाराम व परसाराम के कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के नाम नामान्तरकरण कार्यवाही की गई है। जबकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी को सम्पति नियम 15 (1) के अनुसार न्यायगत होगी तथा अनुसूची वर्ग 1 के उतराधिकारी नही होने की स्थिति मे वर्ग 2 के उतराधिकारियो मे जायेगी। प्रस्तुत मामले मे नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है तथा न ही वास्तविक उतराधिकारियो की जांच की जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को नोटिस देकर सुनवाई, सबूत आदि का पर्याप्त अवसर देते हुए सभी विधिक उतराधिकारियो के पक्ष मे नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर